न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 24 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती जीयोंदेवी पुत्री श्री धनाराम धर्म पत्नी राउराम जाति जाट निवासी राजबेरा हाल निवासी शेम्भूसर (भींयाड़) तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.श्रीमती नोजीदेवी धर्म पत्नी हीराराम
2.श्रीमती रामूदेवी धर्म पत्नी श्री रामलाल
3.श्रीमती चनणी देवी पुत्री श्री हुकमाराम धर्म पत्नी श्री पूराराम जातियान जाट निवासी शेम्भूसर (भींयाड़) तहसील शिव जिला बाड़मेर।
4.श्री प्रबंधक, दी बालोतरा भूमि विकास बैंक, शाखा बालोतरा जिला बाड़मेर।
5.दी प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा भीयाड़ तहसील शिव जिला बाड़मेर
6.श्री तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 254 / 2011 बअनवान जीयोंदेवी बनाम हुकमाराम(श्रीमती नोजीदेवी) वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद में पेश किया कि कि वक्त सेटलमेंट के ग्राम भींयाड़ के खेत खसरा संख्या 835 रकबा 42.19 बीघा, खसरा संख्या 858 रकबा 16.13 बीघा कुल रकबा 59.12 बीघा, खसरा संख्या 680 रकबा 1081.04 बीघा कुल रकबा 1140.16 बीघा, खसरा संख्या 907 रकबा 441.08 बीघा, खसरा संख्या 903 रकबा 0.02 बीघा कुल रकबा 441.03 बीघा के आये हुए थे। जिसमें वक्त सेटलमेंट वादीनी के पिता के संयुक्त खातेदार में दर्ज रही है जिनका वक्त सैटलमेंट से 1 / 6 हिस्सा खातेदारी का बनता है। वादीनी / अपीलांट धना की एकमात्र जाईन्दा पुत्री है कोई जाईन्दा पुत्र नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है व वाद पत्र की सुनवाई को भी एकपक्षीय व पक्षपात रूप से कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया है इतना ही नहीं प्रकरण में पेशी तारीख 22.02.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिया जाकर फिर पूर्व दिनांक को पत्रावली को पेशी पर लिया जाकर निर्णय पूर्वतिथि में पारित किया। सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों, न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया, न निर्णय में न्यायालय मोहर व पदीय स्टाम्प का उपयोग किया गया, उक्त अपीलाधीन निर्णय निर्णय की परिभाषा में कतई नहीं है। वादग्रस्त पैतृक भूमि पर अपने पिता धन्नाराम की एकमात्र वारिसान है जिसका फर्जी पुत्र बनकर हुकमाराम कथित शून्य व निष्प्रभावी बेचान किये है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्यक तामिल बावजूद अनुपस्थित एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है व वाद पत्र की सुनवाई को भी एकपक्षीय व पक्षपात रूप से कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया है इतना ही नहीं प्रकरण में पेशी तारीख 22.02.2019 दिया जाकर फिर पूर्व दिनांक को पत्रावली को पेशी पर लिया जाकर निर्णय पूर्वतिथि में पारित किया। सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों, न्यायिक भावना को भी समझने का प्रयास नहीं किया, न निर्णय में न्यायालय मोहर व पदीय स्टाम्प का उपयोग किया गया, उक्त अपीलाधीन निर्णय निर्णय की परिभाषा में कतई नहीं है। वादग्रस्त पैतृक भूमि पर अपने पिता धन्नाराम की एकमात्र वारिसान है जिसका फर्जी पुत्र बनकर हुकमाराम कथित शून्य व निष्प्रभावी बेचान किये है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

AIR 1992 KERALA Page 305
AIR 1991 ALLAHABAD Page 89(1)
AIR 2010 RAJASTHAN Page 12
RRT 2011(2) Page 763
RRT 2011(2) Page 1295
सिविल प्रक्रिया संहिता पैज 466

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट धन्ना की एक मात्र वारिस एवं पुत्री है, जो पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। हुकमाराम (उतरदाता संख्या 03 के पिता) के नाम धन्ना की भूमि में उसकी फोतेदगी पर भरा गया नामातरकरण प्रारंभत शून्य एवं अवैध है क्योंकि वास्तव में हुकमाराम धन्ना का पुत्र नहीं है बल्कि वह आदू का प्राकृतिक पुत्र है, जो वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत जबाव दावा से स्पष्ट है। वादग्रस्त भूमि में धन्ना का जो हिस्सा खातेदारी में निहित था जो उसकी मृत्यु के उपरांत हिन्दू उतराधिकारी कानून के तहत उसकी एक मात्र जाईंदा पुत्री अपीलांट में निहित हो गया इसलिए इस भूमि में उसके हक हिस्से की भूमि का हस्तांतरण प्रारंभत अवैध एवं शून्य है। इस विवेचन एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं सही नहीं होने के कारण खारिज करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 254/2011 बअनवान जीयोंदेवी बनाम हुकमाराम(श्रीमती नोजीदेवी) वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह घोषणा हेतु पेश नियमित वाद की भांति विचारण हेतु उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर गुणावगुण पर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करे।

17/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner